

DECLARATION UNDER CONSUMER PROTECTION (E-COMMERCE) RULES. 2020

I, **JITENDRA KUMAR SINGH**, Nodal Officer of M/S **KIZAARA INTERNATIONAL RETAIL PRIVATE LIMITED**, having its registered office at F-103, Wing-F, Build-B, Suyojit One World Residency, Opposite Bytco College, Nashik Puna Road, Nashik, Maharashtra- 422101 India. (Hereinafter referred to as kizaara), do hereby declare and undertake as under that:

1. I am fully competent to sign this declaration as I am the Nodal Officer of the Inventory E-commerce Entity named above duly appointed by a Board Resolution annexed herewith.
2. Kizaara fully complies with the provisions of the Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020, and Consumer Protection Act, 2019, related to inventory E-commerce entities, as amended from time to time
3. Kizaara has displayed all information on its website: www.kizaara.com, required and prescribed under clause 4 (2) of the said Rules.
4. Kizaara does not indulge or get involved in any Unfair Trade Practice as required under clause 2 (3) of the said Rules.
5. That kizaara fully abides by the provisions contained in Clauses 4 (4 to 6) of the said Rules whereby kizaara have appointed Sh. Ravidra Kumar Gupta, as its Grievance Redressal Officer to look after and resolve the complaints and grievances of the consumers vide Board resolution annexed herewith. Grievance Redressal Mechanism and Buy Back & Refund Mechanism are also annexed herewith.
6. That kizaara has applied to become a Convergence Partner of the National Consumer Helpline, in compliance of clause 4(7) of the said Rules and as annexed herewith.
7. Kizaara shall record consent of the intending consumer before confirming the order as provided under clause 4 (9 & 10) of the said Rules. Order Form for a consumer along-with its terms & conditions is annexed herewith.
8. Kizaara shall not manipulate the prices of goods and services offered by it on its platform in any manner whatsoever as required under clause 4(11) (a) of the said rules.
9. Kizaara shall not discriminate or differentiate between any class of consumer as required under clause 4 (11)(b) of the said Rules.
10. Kizaara shall abide by and comply, in letter and spirit, with all provisions of Clause 7 of the said Rules
11. All documents referred to in the preceding para may be read as part & parcel of this declaration also as the same have not been reproduced here for the sake of brevity.

DECLARANT
DATED: 21/03/2022

JITENDRA KUMAR SINGH
(NODAL OFFICER)

उपभोक्ता संरक्षण के तहत घोषणा (ई-कॉमर्स) नियम 2020

मैं, **जितेंद्र कुमार सिंह, सुश्री किज़ारा इंटरनेशनल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड** (इसके बाद किज़ारा के रूप में संदर्भित) के नोडल अधिकारी, जिसका पंजीकृत कार्यालय **एफ-103, विंग-एफ, बिल्ड-बी, सुयोजित वन वर्ल्ड रेजीडेंसी, बाइटको कॉलेज के सामने, नासिक पुना रोड, नासिक महाराष्ट्र- 422101 भारत में है।** (इसके बाद किज़ारा के रूप में संदर्भित), इसके तहत घोषणा करते हैं और वचन देते हैं:

1. मैं इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ क्योंकि मैं उपरोक्त नामित सूची ई-कॉमर्स इकाई का नोडल अधिकारी हूँ, जिसे इसके साथ संलग्न बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत नियुक्त किया गया है।
2. किज़ारा, समय-समय पर संशोधित, इन्वेंट्री ई-कॉमर्स संस्थाओं से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करता है।
3. किज़ारा ने अपनी वेबसाइट www.kizaara.com पर सभी जानकारी प्रदर्शित की है, जो उक्त नियमों के खंड 4(2) के तहत आवश्यक और निर्धारित है।
4. किज़ारा उक्त नियमों के खंड 2(3) के तहत अपेक्षित किसी भी अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल नहीं होता है या इसमें शामिल नहीं होता है।
5. किज़ारा उक्त नियमों के खंड 4(4 से 6) में निहित प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करता है जिससे किज़ारा ने श्री रविंद्र कुमार गुप्ता, इसके साथ संलग्न बोर्ड के संकल्प के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों और शिकायतों की देखभाल और समाधान करने के लिए इनको शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। शिकायत निवारण तंत्र और बाय बैक और रिफंड तंत्र भी इसके साथ संलग्न हैं।
6. उक्त नियमों के खंड 4(7) के अनुपालन में और इसके साथ संलग्न किज़ारा ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के कन्वर्जेंस पार्टनर बनने के लिए आवेदन किया है।
7. किज़ारा उक्त नियमों के खंड 4(9 और 10) के तहत प्रदान किए गए आदेश की पुष्टि करने से पहले इच्छुक उपभोक्ता की सहमति दर्ज करेगा। एक उपभोक्ता के लिए ऑर्डर फॉर्म के साथ-साथ इसके नियम और शर्तें इसके साथ संलग्न हैं।
8. किज़ारा अपने प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में किसी भी तरह से हेरफेर नहीं करेगा, जैसा कि उक्त नियमों के खंड 4(11) (ए) के तहत आवश्यक है।
9. किज़ारा उक्त नियमों के खंड 4(11)(बी) के तहत आवश्यक उपभोक्ता के किसी भी वर्ग के बीच भेदभाव व अंतर नहीं करेगा।
10. किज़ारा उक्त नियमों के खंड 7 के सभी प्रावधानों का अक्षरशः पालन करेगा और उनका पालन करेगा।
11. पूर्ववर्ती पैरा में संदर्भित सभी दस्तावेजों को इस घोषणा के भाग और पार्सल के रूप में भी पढ़ा जा सकता है क्योंकि उन्हें संक्षिप्तता के लिए यहां पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है।

घोषणाकर्ता

दिनांक: 21/03/2022

जितेंद्र कुमार सिंह

(नोडल अधिकारी)